

प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,  
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

- 1-जिला पंचायत राज अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी,  
जनपद- गोण्डा।
- 2-जिला पंचायत राज अधिकारी (मु0)/आहरण वितरण अधिकारी,  
पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0।

संख्या: 1/शा0/118/2016-1/76/2016

लखनऊ: दिनांक २५ नवम्बर, 2016

विषय: वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-14 (सामान्य) आयोजनागत मद में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों में सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन निर्माण हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, पंचायतीराज अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन के शासनादेश, संख्या-91/2016/2899/33-3-2016-100(12)/2014 दिनांक 23 नवम्बर, 2016 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा अनुदान संख्या-14 आयोजनागत मद में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन तथा इण्टरलॉकिंग टाइल्स की व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में उक्त योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रु0-35000.00 लाख का आवंटन पूर्व में ही सम्बन्धित जनपदों को किया जा चुका है। अब अनुदान संख्या-14 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुपूरक बजट के माध्यम से उक्त योजना के लिए प्राविधानित रु0-400.00 लाख में से अवशेष धनराशि रु0 300.00 में से जनपद गोण्डा के लिए रु0-40.00 लाख (रुपया चालीस लाख मात्र) उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 23.11.2016 के साथ संलग्न फॉट के कालम संख्या 8, 15, 17 में इंगित रु0- 39.925 लाख की धनराशि सम्बन्धित जनपदों के जिला पंचायत राज अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी के आहरण/व्यय/वितरण हेतु (परिशिष्ट-01) व कालम संख्या-10 में इंगित रु0-0.075 लाख की धनराशि निदेशालय के आहरण वितरण अधिकारी के आहरण/व्यय हेतु (परिशिष्ट-02), इस प्रकार कुल रु0-40.000 लाख की धनराशि संलग्न सूची के अनुसार निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जाती हैं:-

1- डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्रामों में सी0सी0रोड एवं के0सी0 ड्रेन तथा इण्टर लॉकिंग टाइल्स के निर्माण हेतु वर्ष 2016-17 में प्राविधानित एवं स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग स्वीकृत प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

2- आवंटित की जा रही धनराशि को आहरित/व्यय करने से पूर्व आप स्वयं अपने स्तर से यह सुनिश्चित कर लेंगे कि, योजनान्तर्गत परिव्यय उपलब्ध है, प्रश्नगत योजना की कार्ययोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है तथा विभाग इस धनराशि को आहरित/व्यय करने हेतु अधिकृत है।

3- आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण वित्तीय वर्ष 2016-17 की अवधि में कार्यदायी विभागों द्वारा कार्य पर वास्तविक रूप से व्यय/उपभोग की आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा तथा व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/ बी0-1-746/दस-2016 -231/2016 दिनांक 22-03-2016 एवं डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास विभाग द्वारा इस संबंध में जारी किये गये अन्य समस्त आदेशों

में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय करने से पूर्व कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

4- उपरोक्तानुसार आवंटित की जा रही धनराशि, सम्बन्धित जिला पंचायत राज अधिकारियों को आवंटित की जाएगी, जो इस आवश्यकतानुसार राजकोष से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायेगे। सम्बन्धित कार्यदायी संस्था इस धनराशि को डिपोजिट खाते में जमा कर उसका डी.सी.एल पद्धति से व्यय करेंगे। अधिष्ठान व्यय की धनराशि को परियोजना पर डेबिट करके लोक निर्माण विभाग द्वारा लेखा शीर्ष "1054-सड़क तथा सेतु-800-अन्य प्राप्तियों-01-प्रतिशतता प्रभारों की वसूली एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक" 0515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-800-अन्य प्राप्तियों-02-प्रतिशतता प्रभारों की वसूली" में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट किया जायेगा। शासनादेश के संलग्नक में जनपद वार फॉट के कॉलम संख्या-10 में अंकित धनराशि **रु०-0.075 लाख** निदेशक पंचायती राज कार्यालय स्तर पर आहरित की जाएगी, अवशेष धनराशि जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा आहरित कर सभी सम्बन्धित को उपलब्ध करायी जाएगी।

5-उपरोक्त के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलॉटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ०प्र० बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

6- उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-14 के लेखाशीर्षक "4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-101-पंचायती राज-06- सी०सी० रोड एवं के०सी० ड्रेन तथा इण्टरलाकिंग की व्यवस्था-24 -वृहत् निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।

7- सी०सी०रोड एवं के०सी०ड्रेन के निर्माण के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशानुसार ही प्रश्नगत धनराशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

8- शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-सीए-934/दस-2008-मित-1/2007 दिनांक 02-09-2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

9- आहरण वितरण अधिकारी द्वारा धनराशि का आहरण तिथि, बाउचर संख्या, आहरण की धनराशि सूचना निर्धारित रूपपत्र बी०एम०-4 पर लेखशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से निदेशालय उपलब्ध कराया जाय। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

10-जनपद स्तर निर्माण कार्यों हेतु कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु 02-02 माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि नोडल अधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपभोग करने के उपरान्त कार्य एवं गुणवत्ता से संतुष्ट होते हुए अगले दो माह के लिए धनराशि नोडल अधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।

11- जिन मामलों में उ०प्र० बजट मैनुअल एवं वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करायी जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य कर ली जाए।

12- किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितताओं के लिये संबंधित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

13- धनराशि का पूर्ण उपभोग हो जाने पर उपभोग प्रमाण-पत्र निर्धारित रूप पत्र पर महालेखाकार उ०प्र० इलाहाबाद तथा निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में यदि कोई समर्पण हो तो उसकी सूचना निदेशालय को दिनांक 10-03-2017 तक अनिवार्य रूप से भेजी जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या-147 पर अंकित है।

संलग्न:-उक्तानुसार।

भवदीय,



(अनिल कुमार दमेले)

निदेशक,

पंचायती राज, उ०प्र०।

इलाहाबाद

संख्या:1/शा०/118/1/2016 उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ०प्र० शासन।
02. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
03. वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15-1, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ०प्र०, इलाहाबाद-211001.
04. उपसचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2, उ०प्र० शासन।
05. जिलाधिकारी, गोण्डा।
06. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोण्डा।
07. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
08. उपनिदेशक मण्डलीय उपनिदेशक(पं०), देवीपाटन मण्डल, देवीपाटन उ०प्र०।
09. उपनिदेशक (पं०), पंचायती राज निदेशालय, उ०प्र०।
10. एस०पी०एम०यू०, पंचायती राज निदेशालय, उ०प्र० को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।



( केशव सिंह )

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,

पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

इलाहाबाद

पंचायतीराज विभाग, उ०प्र०।

डा० राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2016-17 हेतु चयनित ग्रामों में सी०सी० रोड के साथ नाली या के०सी० ड्रेन निर्माण हेतु आवंटन हेतु प्रस्तावित धनराशि

अनुदान संख्या-14 ( हेतु)

(धनराशि लाख में)

| क्र०स० | जनपद का नाम | जनपद का कुल आवंटित धनराशि | सी०सी० रोड एवं के०सी० ड्रेन का निर्माण (कार्यअंश 2 प्रतिशत कन्टीजेन्सी सहित) | अधिष्ठान अंश 6.875 प्रतिशत की धनराशि | कौलम संख्या 4+5 का योग | कौलम संख्या 4 के सापेक्ष कार्यालय व्यय / कन्टेजेन्सी हेतु 02 प्रतिशत आर०ई०एस० हेतु 1.50 प्रतिशत | मण्डलीय रुप निदेशक पंचायत स्तर पर 0.10 प्रतिशत | जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय स्तर पर 0.10 प्रतिशत | सहायक विकास अधिकारी कार्यालय स्तर पर 0.10 प्रतिशत | कौलम संख्या 7+8+9+10 का योग | सी०सी० रोड एवं के०सी० ड्रेन हेतु वास्तविक धनराशि | कुल आवंटित धनराशि |
|--------|-------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| 1      | 2           | 3                         | 4                                                                            | 5                                    | 6                      | 7                                                                                               | 8                                              | 9                                                     | 10                                                | 11                          | 12                                               | 13                |
| 1      | गोण्डा      | 40.000                    | 37.250                                                                       | 2.750                                | 40.000                 | 0.559                                                                                           | 0.037                                          | 0.037                                                 | 0.037                                             | 0.671                       | 36.504                                           | 39.925            |
|        | निदेशालय    |                           |                                                                              |                                      |                        |                                                                                                 |                                                |                                                       |                                                   |                             |                                                  | 0.075             |
|        | योग         | 40.000                    | 37.250                                                                       | 2.750                                | 40.000                 | 0.559                                                                                           | 0.037                                          | 0.037                                                 | 0.037                                             | 0.671                       | 36.504                                           | 40.000            |

*[Signature]*

*[Signature]*

(राम राम सिंह)  
उप निदेशक (पंचायत)  
पंचायती राज, उ०प्र०

प्रेषक,

एस.पी.सिंह  
उप सचिव  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
पंचायती राज,  
उ०प्र०, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 23 नवम्बर, 2016

विषय- वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु डा० राम मनोहर लोहिया योजनान्तर्गत चयनित जनपद-गोण्डा के नवीन ग्रामों में सी०सी०रोड/के०सी०ड्रेन निर्माण हेतु अनुदान संख्या-83 में की गयी मांग के सापेक्ष अनुदान संख्या-14(सामान्य) के अन्तर्गत धनराशि आवंटित किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 5/4397/2016-5/129/2016 दिनांक 22.11.2016 के संदर्भ में समग्र ग्राम विकास विभाग के शासनादेश संख्या-447/66-2012-05/2012, दिनांक 17-05-2012 एवं डा० राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत आंतरिक गलियों एवं नालियों के निर्माण के संबंध में पंचायती राज अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-1266/33-2-2012-4आर०डी०/12, दिनांक 13 जून, 2012 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबंध एवं वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या- 1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च 2016 में दिये गये दिशा-निर्देशों के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद-गोण्डा के ग्राम- करौंदी एवं माथेपुर में सी०सी०रोड/के०सी०ड्रेन निर्माण हेतु अनुदान संख्या-83 में रु. 40.00 लाख की मांग जनपद द्वारा की गयी है। निदेशक पंचायती राज द्वारा अवगत कराया गया है कि अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत सम्पूर्ण धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। अनुदान संख्या-14 के अन्तर्गत रु. 300.00 लाख अवशेष है जिसमें से रु. 280.00 लाख के सापेक्ष प्रदेश स्तर पर कोई मांग उपलब्ध नहीं है। अतः अनुदान संख्या- 83 के अन्तर्गत चयनित उक्त दोनों ग्रामों में कार्य कराये जाने हेतु अनुदान संख्या- 14 के अन्तर्गत 2016-17 में अनुपूरक बजट के माध्यम से उक्त योजना के लिए प्राविधानित 400.00 लाख में से अवशेष रु 300.00 लाख की धनराशि में से रु. 40.00 लाख ( रु. चालीस लाख मात्र) की धनराशि जनपद-गोण्डा के लिए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन जनपदवार संलग्न फॉट के अनुसार श्री राज्यपाल महोदय व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) डा० राम मनोहर लोहिया समग्र ग्रामों में सी०सी०रोड एवं के०सी०ड्रेन तथा इण्टर लाकिंग टाइल्स के निर्माण हेतु वर्ष 2016-17 में प्राविधानित एवं स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग स्वीकृत प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित/व्यय करने से पूर्व निदेशक, पंचायती राज स्वयं अपने स्तर से यह सुनिश्चित कर लेंगे कि योजनान्तर्गत परिव्यय उपलब्ध है, प्रश्नगत योजना की कार्ययोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है तथा विभाग इस धनराशि को आहरित/व्यय करने हेतु अधिकृत है।

(3) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण वर्ष 2016-17 की अवधि में कार्यदायी विभागों द्वारा कार्य पर वास्तविक रूप से व्यय/ उपभोग की आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा तथा व्यय के संबंध में वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या- 1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च 2016 एवं डा० राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास विभाग द्वारा इस संबंध में जारी किये गये अन्य समस्त आदेशों में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय करने से पूर्व कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) उपरोक्तानुसार अवमुक्त धनराशि संबंधित जिला पंचायत राज अधिकारियों को आवंटित की जायेगी, जो इस आवश्यकतानुसार राजकोष से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायेंगे। संबंधित कार्यदायी संस्था इस धनराशि को डिपॉजिट खाते में जमा कर उसका डी.सी.एल. पद्धति से व्यय करेंगे। अधिष्ठाता व्यय की धनराशि को परियोजना पर डेबिट करके लोक निर्माण विभाग द्वारा लेखा शीर्ष " 1054'सडक तथा सेतु-800-अन्य प्राप्तियों -01-प्रतिशतता प्रभारों की वसूली एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के प्राप्ति लेखा शीर्षक" 0515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम -800-अन्य प्राप्तियों -02-प्रतिशतता प्रभारी की वसूली " में ट्रांसफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट किया जायेगा। निदेशक, पंचायती राज, उ०प्र० द्वारा उपलब्ध कराये गये जनपदवार फॉट के कालम संख्या- 10 में अंकित धनराशि रु 0.186लाख निदेशक, पंचायती राज कार्यालय स्तर पर आहरित की जायेगी, अवशेष धनराशि जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा आहरित कर सभी संबंधित को उपलब्ध करायी जायेगी।

(5) उपरोक्त के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ०प्र० बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(6) उक्त मदों में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-14 के "लेखाशीर्षक 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-101-पंचायती राज-06-सी०सी०रोड एवं के०सी०ड्रेन तथा इण्टर लाकिंग टाइल्स की व्यवस्था- 24-बृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

(7) सी०सी०रोड एवं के०सी०ड्रेन के निर्माण के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशानुसार ही प्रश्नगत धनराशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या- सीए-934/दस-2008-मित-1/2007 दिनांक 2-9-2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(9) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी०एम०-13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

(10) जनपद स्तर पर निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु 02-02 माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि नोडल अधिकारी/जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त कार्य एवं गुणवत्ता से संतुष्ट होते हुए अगले 02 माह के लिए धनराशि नोडल अधिकारी/ जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी। नोडल अधिकारी द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार कार्य तथा धनराशि आवंटित होने के सापेक्ष कार्यों की स्थलीय निरीक्षण की प्रगति रिपोर्ट प्रति माह शासन को अनिवार्य रूप से अवगत कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) जिन मामलों में उ०प्र० बजट मैनुअल एवं वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य कर ली जाय।

(12) उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर निदेशक, पंचायती राज स्वयं इसके लिए उत्तरदायी होंगे। साथ ही साथ जनपदवार फॉट के सही होने का दायित्व भी निदेशक, पंचायती राज का होगा।

2- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च 2016 में प्राप्त अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।  
संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

( एस.पी.सिंह )  
उप सचिव।

संख्या तथा दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ०प्र० इलाहाबाद।
- 2- प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग/वित्त विभाग/लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, उ०प्र० शासन।
- 3- निदेशक एवं मुख्य मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उ०प्र०, लखनऊ।
- 4- जिलाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी/कोषाधिकारी, गोण्डा।
- 5- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/कलेक्ट्रेट लखनऊ।
- 6- मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत/मुख्य विकास अधिकारी, गोण्डा।
- 7- अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, लखनऊ।
- 8- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2
- 9- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
- 10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( एस०पी०सिंह )

उप सचिव।

### Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2016-2017

आवंटन दिनांक-24/11/2016

प्रेषण संख्या:-

आवंटन आदेश संख्या:- 017-76-2016

अनुदान संख्या:-

14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)(वित्तीय वर्ष 2016-2017 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:-

4515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय(आयोजनागत-मतदेय)

101 - पंचायती राज

06 - सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन तथा इन्टर लॉकिंग टाइल्स

(धनराशि रु. में)

| S.No. | अधिकारी/जनपद का नाम                                                           |                 | 24-वृहत् निर्माण कार्य | योग             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 1     | जवाहर भवन, लखनऊ-2287-निदेशक, पंचायती राज, 30प्र0, लखनऊ-01-पंचायत राज निदेशालय | वर्तमान प्रगामी | 7500<br>6548800        | 7500<br>6548800 |
|       | योग                                                                           | वर्तमान प्रगामी | 7500<br>6548800        | 7500<br>6548800 |

महायोग- (वर्तमान

आवंटन):-

रूपया सात हजार पाँच सौ

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया पैंसठ लाख अड़तालीस हजार आठ सौ

(केशव सिंह)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

24/11/2016

### Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2016-2017

आवंटन दिनांक-24/11/2016

प्रेषण संख्या:-

आवंटन आदेश संख्या:- 018-76-2016

अनुदान संख्या:-

14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)(वित्तीय वर्ष 2016-2017 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:-

4515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय(आयोजनागत-मतदेय)

101 - पंचायती राज

06 - सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन तथा इन्टर लॉकिंग टाइल्स

(धनराशि रु. में)

| S.No. | अधिकारी/जनपद का नाम                        |                 | 24-वृहत् निर्माण कार्य | योग                 |
|-------|--------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|
| 1     | गोण्डा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01- | वर्तमान प्रगामी | 3992500<br>71865800    | 3992500<br>71865800 |
|       | योग                                        | वर्तमान प्रगामी | 3992500<br>71865800    | 3992500<br>71865800 |

महायोग- (वर्तमान

आवंटन):-

रूपया उनचालीस लाख बानवे हजार पाँच सौ

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया सात करोड़ अठारह लाख पैंसठ हजार आठ सौ

(केशव सिंह)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

आ.बा.प.क.